उत्तर प्रदेश शासन

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

संख्या-17/2022/1452/63.व0उ0.2022.59;एच0द्ध्ध2022

लखनऊः दिनांकः 01 दिसम्बरए 2022

कार्यालय-ज्ञाप

श्री मो0 हसनए वरिष्ठ अनुसेवकए हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभागए उ0प्र0 सचिवालय को अवकाश अभिलेखों के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनॉक 31ण्12ण्2022 तक 300 ;तीन सौ मात्र) दिनों का उपार्जित अवकाश देय है। अतः अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनॉक 31ण्12ण्2022 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त तिथि तक उन्हें अनुमन्य कुल 300 ;तीन सौ मात्र) दिनों के उपार्जित अवकाश के बदले नियमानुसार ग्राह्य अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि रू0 5ए02ए320ध्. ;रू0 पॉच लाख दो हजार तीन सौ बीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

2. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3.759ध्दस- 2003.503 .2003 दिनांक 19 जूनए 2003 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2022.23 आय-व्ययक के अनुसार संख्या-62 के लेखा शीर्षक ष्2071.पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (आयोजनेत्तर) 01.सिविल-115. छुट्टी नगदीकरण हित लाभ-03. सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नगदीकरण-02.दिनांक 08 नवम्बरए 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नगदीकरण-33.पेंशन/ आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभष् के नाम डाला जायेगा।

पी0 के0 पाण्डेय

संयुक्त सचिव।

संख्या- 17/2022/1452/ दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकारए लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तर प्रदेशए प्रयागराज।
2. कोषाधिकारीए जवाहर भवनए लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारीए ;लेखा) उद्योगए सचिव शाखा (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. श्री मो0 हसनए वरिष्ठ अनुसेवकए हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभागए उ0प्र0 सचिवालय।

आज्ञा से

; पी0 के0 पाण्डेय)

संयुक्त सचिव।